

- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or
(b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act.”;

(v) against serial number 82A, in column (3), after the letters, figures and words, “FIFA U-17 Women’s World Cup 2020”, the brackets and words “[whenever rescheduled]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no. 12/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification No. 16/2021 – Union Territory Tax (Rate), dated the 18th November, 2021 published in the official gazette vide number G.S.R. 812(E), dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 05/2022-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 547(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में,-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक " जिसने 6 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर का का भुगतान नहीं किया है " को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,-

- आपूर्तिकर्ता ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया है, और
- आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर केंद्रीय कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III में यथानिर्धारित घोषणा की हो।";

2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) को शब्द और प्रतीक "(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं" से प्रति स्थापित किया जायेगा।"

3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति";

- 4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।".

II. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/176/2022-टी आर यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2019-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. 971 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 05/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 547(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 1, in column (2), -

(a) the words, figures and symbols "who has not paid central tax at the rate of 6%," shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

- i. the supplier has taken registration under the CGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and
- ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging Central Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.";

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority" shall be omitted;

(3) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.”;

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the CGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.”.

II. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

[F. No. 190354/176/2022-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: -The principal notification no. 13/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 29/2019 -Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2019 published in the official gazette vide number G.S.R. 971(E), dated the 31st December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 05/2022 -एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 548(अ).—केन्द्रीय एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

1) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) में,-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक " जिसने 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर का का भुगतान नहीं किया है " को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,-

- आपूर्तिकर्ता ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के उपवाक्य (v) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और
- आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दर से एकीकृत कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III में यथानिर्धारित घोषणा की हो।”;